

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28()परावि/प्रशा.2/प्रगति प्र.अ./प्रति.नियुक्ति/2010/5822जयपुर,दिनांक:16/12/2015

आदेश

श्री पारस चन्द जैन, प्रगति प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बून्दी की सेवायें इनकी पैतृक संस्था राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को वापिस लौटाई जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

M.S.

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बून्दी
6. श्री पारस चन्द जैन, प्रगति प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बून्दी
7. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।
8. आदेश पत्रावली

M.S.

अतिरिक्त आयुक्त